

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी:- श्रीमती चंचल वर्मा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 47/16

प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा.अधि.1956

श्री अलौल पत्नी जमादौरा अनवान आर निवासी बडला पूर्णिया
 श्री पत्नी पिता सम्प्रान्त अनवान आर निवासी बडला
 "जीवणसिद्ध पिता सम्प्रान्त शिखर निवासी बडला
 "तनूसा फौरेर लिमिटेड रजिस्टर्ड अफिसर सम्प्रान्त
 कोटड़ी भीलवाड़ा
 तहसीलदार कोटड़ी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि.1956
 आदेश


दिनांक 12.3.16

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 25.1.16 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बडला तहसील कोटड़ी की नवीन खतौनी सं० 8 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 तक कुल किता 1 रकबा 5.00 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खातों / संयुक्त खातों की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन जारी किये गये। सम्मन बाद तामील पत्रावली पर लिये गये। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुउपस्थित एवं किसी प्रकार का प्रतिरोध दर्ज नहीं कराये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं प्रकरण में संबंधित भू०अ०निरीक्षक कडालियास को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सूचित करने के उपरांत पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटड़ी के तलब की जावें।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटड़ी के वाके ग्राम बडला प०म० बडला स्थित नवीन खतौनी संख्या 8 कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 तक कुल किता 1 रकबा 5.00 बीघा पर पत्थरगढ़ी उभयपक्ष को सूचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढ़ी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमीश्नर फीस तहसीलदार कोटड़ी के निर्देशानुसार राशि 500/- रूपये जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार कोटड़ी विधिवत पत्थरगढ़ी के आदेश संबंधित भू०अ०नि० को करेंगे।


 (श्रीमती चंचल वर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
 जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - तहसीलदार कोटड़ी को भेजकर लेख है कि आवदेक की राशि जमा होने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

11
 (श्रीमती चंचल वर्मा)
 उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
 जिला भीलवाड़ा